

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 18.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।



- पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा चलाया गया 'मिशन शक्ति' एवं 'साइबर जागरूकता' अभियान।
- महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर पंपलेट आदि के माध्यम से विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों, गुड टच-बैड टच एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलम्बन, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 18.08.2025 को मिशन शक्ति अभियान (फेज-05) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा के थाना चरखारी एवं महिला रिपोर्टिंग चौकी चरखारी की एण्टी रोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सार्वजनिक स्थलों में जाकर वहां मौजूद बच्चियों तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति एवं शक्ति दीदी अभियान के अन्तर्गत जागरूक किया गया साथ ही साइबर अपराधों के बारे में भी जानकारी दी गई।

अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के लिए समर्पित विभिन्न सेवाओं/हेल्पलाइन नम्बरों (ट्वीटर सेवा, डॉयल-112, हेल्प लाइन-181, वुमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्प लाइन-1098, सी0एम0 हेल्पलाइन-1076, वन स्टॉप सेन्टर-181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन-102, एंबुलेंस सेवा-108 आदि) तथा जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने पर महिला हेल्प डेस्क आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पंपलेट आदि के माध्यम से जागरूक किया गया तथा महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं (निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना आदि) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया गया।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक:- 18.08.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हें अनावश्यक रूप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।



बैंक चेकिंग

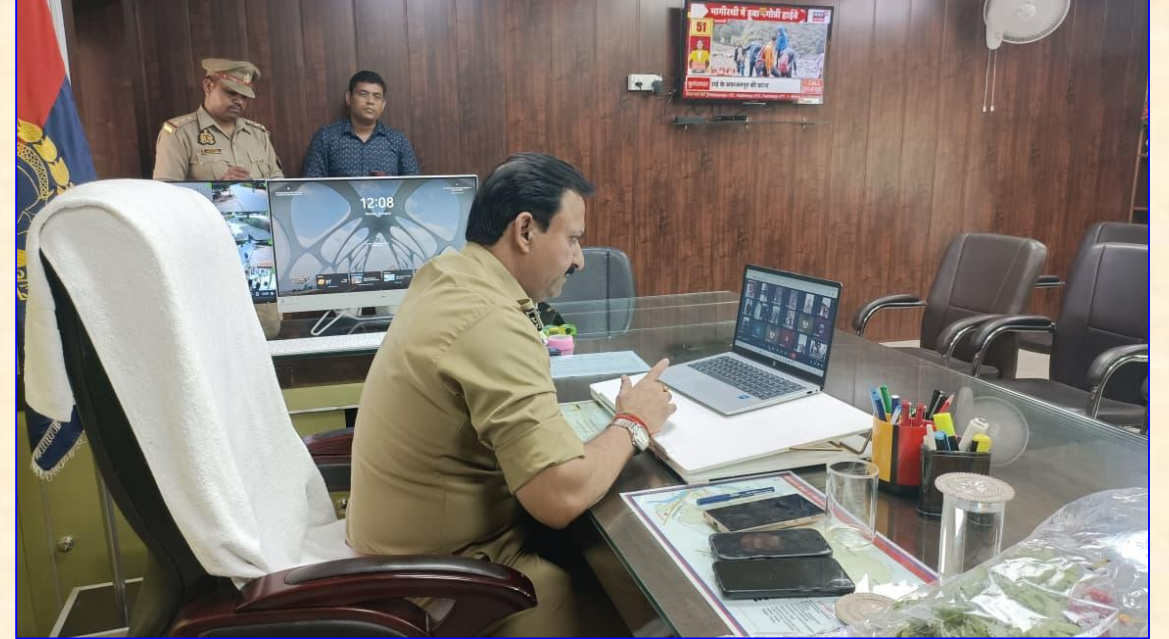


पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा भाद्रपद अमावस्या एवं बैंक/एटीएम/कैश वैन की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत गूगल मीट के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए-

आज दिनांक 18.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा गूगल मीट के माध्यम से गोष्ठी आयोजित की गयी, जिसमें जनपदीय पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारी, समस्त थाना प्रभारी, प्रभारी एलआईयू एवं प्रभारी 112 सम्मिलित रहे।

गोष्ठी के दौरान आगामी भाद्रपद अमावस्या पर जनपद चित्रकूट में बड़ी संख्या में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक महोबा ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में निरंतर भ्रमणशील रहते हुए हाइवे, प्रमुख चौराहों एवं इन्ट्री प्वाइंट्स पर आवश्यक पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसी भी घटना की सूचना पर तत्काल सक्रिय होते हुए मौके पर पहुँचकर आवश्यक कार्यवाही करने तथा पड़ोसी थाना क्षेत्रों से सहयोग लेने के निर्देश भी दिए गये। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

इसी क्रम में बैंक/एटीएम/कैश वैन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत भी दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिसमें सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वह अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी बैंक एवं एटीएम की सूची तैयार करें, सम्बन्धित बैंक प्रबन्धकों से सम्पर्क कर कैश वैन से होने वाले धनराशि आवागमन की जानकारी प्राप्त करें एवं उस दौरान सख्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रत्येक बैंक में चेकिंग रजिस्टर बनवाकर आने-जाने वालों का विवरण अंकित करावें। एटीएम में नकदी डालने वालों का समय सुनिश्चित कर सुरक्षा व्यवस्था के तहत निगरानी रखें।



थाना अजनर की पुलिस टीम ने

01 नफर वाछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में सलिप्त वाछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 17.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०स० 185/2025 धारा 108/115(2) बी०एन०एस० से संबंधित 01 नफर वाछित अभियुक्त मूरत सिंह पुत्र महादेव राजपूत उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम बुधवारा थाना अजनर जनपद महोबा को मोहन पुर तिगैला यात्री प्रतीक्षालय बुधवारा मोड के पास थाना अजनर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मूरत सिंह पुत्र महादेव राजपूत उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम बुधवारा थाना अजनर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री सत्यपाल सिंह
2. उ०नि० ऋषी शुक्ला
3. का० प्रताप विक्रम सिंह



MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

शस्त्र अधिनियम के अभियोग में आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी
अवधि एवं 300/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन के साथ मा० न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जे.एम. कोर्ट चरखारी द्वारा शस्त्र अधिनियम के अभियोग में परीक्षणोपरांत नामित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 300/- रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना चरखारी में पंजीकृत मु०अ०सं० 1124/2011 धारा 25 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त भूरेलाल यादव पुत्र राजाराम निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा को जेल में बिताई गयी अवधि व 300 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।



महमूदुर रहमान,
सहायक अभियोजन अधिकारी



आ०. मिथलेश कुमार
पैरोकार थाना चरखारी महोबा

